an>

Title: Need to give salary to the employees of closed TV Channels.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, जैसे पल्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पल्स हरियाणा, जिया न्यूज़, 4 रियल न्यूज़, आजाद न्यूज़, जी. एन.एन आदि को बंद कर दिया गया है। जब चैनल खुलता है तो उसमें 3 करोड़ रुपये की राशि मिलती है, लेकिन जिन चैनल्स का मैंने नाम लिया है, उन्हें बंद करने से पहले किसी को नहीं बताया गया। अभी तीन चैनल्स ऐसे हैं, जैसे श्री न्यूज़ में सौ लोगों की छंटनी हो गयी, भास्कर न्यूज़ में तीन महीने से सैलरी नहीं मिली और सहारा चैनल की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है।

मैं समझता हूं कि लगभग 4 हजार ऐसे श्रमिक, जिन्हें मैं बौद्धिक श्रमिक मानता हू, उनमें कोई पत्रकार के रूप में जिले में रिपोर्टिंग कर रहा है तो कोई वीडियोग्राफी कर रहा है। ऐसे लोगों का जीवन अब पूरी तरह से संकटग्रस्त है, लेकिन इसके लिए कहीं कोई कानून नहीं है। दो कुल संस्थाएं हैं, जो काम करती हैं--न्यूज़ ब्राडकास्टर्स एसोसियेशन और ब्राडकास्टर्स एडीटर एसोसियेशन, जो संपादकों की है, लेकिन उनके द्वारा इसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दुनिया की न्यूज़ बताते हैं। ये नौ चैनल्स बंद कर दिये गये हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास कोई कानून नहीं है। जो जर्नलिस्ट के फोरम्स हैं, उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये सारे के सारे परिवार तबाही की स्थिति में हैं। उनकी कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं है, इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने की भी कोई स्थिति नहीं है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसमें जो पैसा लगा है, वह विट फंड का पैसा लगा है या कुछ ऐसे व्यक्तियों का लगा है, जो जांच का विषय है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विट फंड वाली कम्पनियां चैनल खोलती हैं, इतने परिवारों को तबाह कर देती हैं और चैनल बंद करने से पहले कोई नोटिस या जानकारी नहीं देती।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन परिवारों को संरक्षण मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।